

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक:- मुसप्र/2022/262


दिनांक : 31/6/22

## संशोधित आदेश

पूर्व में जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2022/85 दिनांक 22.04.2022 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 208 दिनांक 23.05.2022 के द्वारा उप आवासन आयुक्त वृत्त-द्वितीय, जोधपुर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय एवं आवासीय अभियन्ता, खण्ड-बाडमेर के अधीन अतिरिक्त/अधिशेष अल्प आय वर्ग के (G+3) एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के (G+3) फ्लैटों का निस्तारण खुली बिक्री योजना के माध्यम से (बिना छूट के) किराया क्रय पद्धति से बुधवार नीलामी में निस्तारण किये जाने वाले ईडब्ल्यूएस के 183 तथा एलआईजी के 101 कुल 284 फ्लैटों के निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की गई थी।


उक्त 284 फ्लैटों की सूची में आदेश क्रमांक मुसप्र/2022/208 दिनांक 23.05.2022 के अनुसार फ्लैट संख्या EL-9(GF), LIG(G+3) के स्थान पर EL-19(GF), LIG(G+3) पढा जावें।

उक्त आदेश को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

## प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
8. आवासीय अभियन्ता खण्ड-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक